Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Jamabandi Cancellation Revision Case No.-46/2025]

Rajiv Kumar Sah & Others.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Others.....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	09.3.2026	**आदेश** यह जमाबंदी रद्दीकरण पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के जमाबंदी रद्द अपील वाद सं0-34/2022 में दिनांक-28.3.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-	

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
91	87 पु. 63 नया	0-2-75 डी.	उ0-क्रेता खेसरा नं.-88, द0-निज हिस्सेदारी, पु0-पक्की सड़क, प0-खेसरा नं. -92 लक्ष्मी साह वगैरह
91	88 पु. 62 नया	0-2-25 डी.	उ0-निज, द0-क्रेता, पु0-पक्की सड़क, प0-खेसरा नं.-92 लक्ष्मी साह वगैरह

दिनांक-19.2.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। Petitioner एवं विपक्षी संख्या-3 की ओर से लिखित बहस दाखिल है।

Petitioner का अभिकथन है कि मौजा-बेलागंज स्थित खाता संख्या-91, खेसरा संख्या-87, रकवा-0-09-0 डी. तथा खाता संख्या-91 खेसरा-88 रकवा-0-13-0 डी. यानि कुल 0-22-0 डी. के अलावा अन्य खेसरा के पुराना खतियानी रैयत संतु दास, पे.-स्व0 किशन दास साकिन-जीवछपुर, थाना-भीमपुर, जिला-सुपौल थे। तथा खतियानी रैयत जमाबंदी संख्या-66 भूतपूर्व जमींदार से लेकर बिहार सरकार तक कायम कराकर प्रश्नगत जमीन के दखलकार चलते आ रहे थे। खतियानी रैयत के मृत्यु के उपरांत उनके दोनों पुत्र (भोला दास एवं सहदेव दास) के बीच मौखिक बंटवारा के बाद दोनों को समान रूप से 0-11-0 डी. प्राप्त हुआ। सहदेव दास के मृत्यु के उपरांत उनके दोनों पुत्र विशुनदेव मुखिया और रामदेव मुखिया को 0-11-0 डी. में से दानो को समान रूप से 0-5$\frac{1}{2}$-0 डी. प्राप्त हुआ। उनका कहना है कि प्रश्नगत खेसरा के खतियानी रैयत के वारीसान श्री रामदेव मुखिया, पिता-स्व0 सहदेव मुखिया से निबंधित दस्तावेज संख्या-4576 दिनांक-24.8.2016 के द्वारा कुल रकवा 5 डी. की खरीदगी Petitioner द्वारा की गयी। उनका कहना है कि जमीन के खरीदगी से पूर्व से ही रामदेव मुखिया के सहमति से घर-मकान बना कर दखलकार चलते आ रहे हैं। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय के स्तर से उपरोक्त तथ्यों के बावजूद विपक्षी के जमाबंदी सं.-918 को पुर्ववत बहाल किया गया है। अतः उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि खतियानी रैयत सन्तु दास के नाम से कुल रकवा-0-22 डी. का जमाबंदी संख्या-66 कायम था। सन्तु दास के दो पुत्र भोला दास और सहदेव दास को समान रूप से 0-11 डी. प्राप्त हुआ। सहदेव दास के मृत्यु के उपरांत उनके दो पुत्र स्व. विशुनदेव दास एवं रामदेव दास को 0-11 डी. में से आधा-आधा 0-5$\frac{1}{2}$-0 डी. प्राप्त हुआ। उनका कहना है कि स्व. विशुनदेव दास की पत्नी उर्मिला देवी उर्फ कुमिला देवी ने विक्रय पत्र

	09.3.2026	दस्तावेज संख्या-1247 दिनांक-11.2.2013 के माध्यम से अपने हिस्से की जमीन की बिक्री विपक्षी को कर दिया गया। जिसके उपरांत विपक्षी के नाम से जमाबंदी संख्या-918 कायम हुआ। उनका यह भी कहना है कि Petitioner द्वारा जमाबंदी संख्या-918 के विरूद्ध अवर न्यायाधीश, सुपौल के समक्ष अधिकार वाद संख्या-142/2018 दायर किया गया है जो लंबित है। उनका कहना है कि समाहर्त्ता, सुपौल का आदेश दिनांक-28.3.2025 विधिसम्मत है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि Petitioner की ओर से श्री रामदेव मुखिया, पिता-स्व0 सहदेव मुखिया से निबंधित दस्तावेज संख्या-4576 दिनांक-24.8.2016 के द्वारा कुल रकवा 5 डी. की खरीदगी करने के आधार पर दावा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी द्वारा स्व. विशुनदेव दास की पत्नी उर्मिला देवी उर्फ कुमिला देवी से विक्रय पत्र दस्तावेज संख्या-1247 दिनांक-11.2.2013 के माध्यम जमीन प्राप्त कर जमाबंदी संख्या-918 कायम होने के आधार पर दावा किया जा रहा है। कागजातों के आधार पर यह स्थापित हो रहा है कि उभय पक्ष द्वारा खतियानी रैयत के वंशज से जमीन क्रय करने के आधार पर प्रश्नगत जमीन पर अपना-अपना दावा किया जा रहा है। जबकि मूल जमाबंदी संख्या-66 में पर्याप्त रकवा अवशेष नहीं है। जिसके कारण उभय पक्ष के बीच विवाद है। उपरोक्त तथ्यात्मक बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए दाखिल खारिज वाद संख्या-8715/2012-13 में अंचल अधिकारी, छातापुर के स्तर से जमाबंदी संख्या-918 विपक्षी के पक्ष में कायम किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। निम्न न्यायालय समाहर्ता, सुपौल के अपीलाधीन आदेश में उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए जमाबंदी संख्या-918 को पुनर्बहाल करने का आदेश दिया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है एवं तदनुसार निरस्त किया जाता है। कागजातों के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रश्नगत खेसरा-87 एवं 88 के अवशेष जमीन में उभय पक्ष को आधा-आधा हिस्सा विधिमान्य होता है। साथ ही वर्तमान विवाद में Title Suit संख्या-142/2018 सिविल कोर्ट में लंबित है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय समाहर्त्ता-सुपौल के अपीलाधीन आदेश को खारिज करते हुए आदेश दिया जाता है कि सक्षम न्यायालय के स्तर से Title Suit विनिश्चत होने तक Status quo (राजस्व अभिलेख एवं सरजमीन पर) Maintain किया जाय। अंचल अधिकारी, छातापुर को तदनुसार आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत जमीन के जमाबंदी संख्या-66 के अवशेष रकवा में दोनों पक्षों को आधा-आधा हिस्सा नापी कराकर शांतिपूर्ण कब्जा बरकरार रखेंगे। ताकि Title Suit विनिश्चत होने तक उभय पक्ष के बीच कोई विवाद न हो। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 09/3/26 आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। 09/3/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	